HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

ORDER

S.B.Criminal Miscellaneous 2nd Bail No. 4514/ 2018

Madanlal S/o Hukamchand, Aged 55 years, By Caste Koli, R/o Nagar Nigam Colony, Chhawani, Kota (Rajasthan).

(Presently confined at Central Jail of Kota).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

आदेश दिनांकः 31.05.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री अजयसिंह, प्रार्थी का पुत्र उपस्थित।

अभियुक्त–प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन पुलिस थाना–मंडाना, जिला–कोटा ग्रामीण में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120बी भा.दं.सं. के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी की ओर से उसके पुत्र ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अधिवक्तागण आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु उसे अधिकृत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु अनुमति दी जावे।

प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतु अनुमति दी जाती है तथा प्रार्थी की ओर से उसके पुत्र को सुना गया।

प्रार्थी के पुत्र ने निवेदन किया है कि प्रार्थी इस प्रकरण में पिछले 15 माह से अभिरक्षा में है। प्रकरण के मुख्य गवाह पी.ड.–1 रामस्वरूप तथा पी.ड.–2 मदनलाल के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। जिन्होंने प्रार्थी के बारे में

कोई कथन नहीं किये हैं। आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आरोप विरचित किये जाने के बाद साक्ष्य अभियोजन की प्रथम तारीख से 60 दिवस की अवधि में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पायी है। अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

लोक अभियोजक भी उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का पिछले 15 माह से अभिरक्षा में होना बताया गया है। आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा विचारणीय है तथा जाली विक्रयपत्र के संबंध में विभाग को सूचना हो चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त–प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः अभियुक्त–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त–प्रार्थी मदनलाल पुत्र हुकमचन्द द्वारा रूपये **2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र तथा रूपये **1,00,000/– – 1,00,000/– (एक–एक लाख रूपये मात्र)** रूपये की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे, तो उसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2017 पुलिस थाना–मण्डाना, जिला–कोटा ग्रामीण** से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी अथवा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/58